ISO 9001:2015 CERTIFIED

"जो खो गया, उसके लिए शोक न करो, जो बचा रहा है उसका मूल्य समझो।"

साप्ताहिक

नीमच हेडलाइन्स

डाक पंजीयन क्रमांक मंदसौर 407/2025-27

पंजीयन क्रमांक- MPHIN/2018/76962

अंचल का तेज़ी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क...

NEEMUCH HEADLINES

ख़बर वही, जो हम दिखाते है..

संस्थापक- स्व.इंद्रदेव जी जाजपुरा

प्रधान सम्पादक - अविनाश जाजपुरा

साप्ताहिक समाचार पत्र,एप, वेब पोर्टल और न्यूज़ चैनल

वर्ष - 08 | अंक- 20 | नीमच, बुधवार 5 से 11 नवम्बर 2025 तक | कुल पृष्ठ - 08 | मूल्य - 5 रू

न्यूज़ गैलेरी

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, सोने की कंठी न मिलने पर पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट!

नीमच। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में दहेजलोभियों की हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दहेज में सोने की कंठी हार की माँग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने एक विवाहिता की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतका के पिता गोपाल पिता केंशुराम निवासी जुना भदाना ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उनके अनुसार, 30 अक्टूबर की रात बेटी ने फोन पर बताया था कि ससुराल वाले सोने की कंठी माँग रहे हैं और उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली। गोपाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट कुकड़ेश्वर थाने में दर्ज करवाई गई और पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमकियाँ दे रहे हैं। पीड़ित पिता ने कलेक्टर से हस्तक्षेप कर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं आईपीसी की संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की माँग की है।

24 साल का युवा तांत्रिक क्रिया का शिकारः हर दो-तीन साल में रहस्यमय ढंग से होता है गायब

नीमच के मोहित सिसौदिया का रहस्यमय ढंग से हर दो-तीन साल में गायब होना और फिर तांत्रिक क्रियाओं के निशानों के साथ

वापस मिलना अब एक पहेली बन गया है। पुलिस से लेकर परिवार तक, सभी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे हैं। यह घटना अब तक पांचवीं बार घट चुकी है और हर बार मोहित के साथ एक जैसी विचित्र परिस्थितियां पाई गई हैं। इस बार भी मोहित 29 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया था। दो दिन बाद, 31 अक्टूबर की रात को वह पैदल घर लौटा, लेकिन बेहद कमजोर और बेहोश हालत में था। उसके शरीर पर कपड़े बहुत कम थे, पूरे शरीर पर नींबू बंधे हुए थे, काजल और सिंदूर के निशान थे, साथ ही जगह-जगह सुई और कट के निशान दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर परिवार और पड़ोसी दंग रह गए। परिजनों ने बताया कि जब मोहित 13 साल का था, तब पहली बार वह रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। कई दिनों बाद जब वह मिला, तो उसी तरह उसके शरीर पर तांत्रिक क्रियाओं के निशान थे।

बिना परमिशन के कालोनी काटकर शासन को लाखों के राजस्व की हानि

जावद के बाद अब मनासा में काईद जोहर बौहरा नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेचने का गंभीर मामला आया सामने

नगर परिषद ओर एसडीएम ने मामला लिया संज्ञान में

नीमच। जहां एक और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भू माफियाओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मानो नियम कायदे कानून उनके लिए बने हुए ही नहीं है। वह प्रशासन के नियमों को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिव्यांग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला जावद विधानसभा क्षेत्र का था जहां पर एक दिव्यांग अपनी खुद की जमीन का पैसा लेने के लिए दर-दर भटक रहा है। और इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जिससे साफ पता चल रहा है कि भू माफियाओ की पकड़ कितनी ऊपर तक है। और उन्हें किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जिसकी वजह से प्रशासन तक कठोर कार्यवाही नही कर पा रहा है। वहीं ऐसा ही एक और मामला मनासा विधानसभा क्षेत्र का आया है जहां पर एक व्यक्ति ने झालावाड़ नीमच रोड पर लगी बेश कीमती जमीन पर बिना किसी अनुमति के प्लाट काट दिए और गाइडलाइन में प्रशासन को गुमराह कर मुख्य मार्ग की गाइडलाइन से हटकर 500 फीट पीछे की गाइडलाइन के आधार पर रजिस्टर करवा दी जिसमें 800 स्क्वायर फीट से लगाकर 3500 स्क्वायर फीट तक के प्लाटों का सौदा कर दिया। जिसमे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। जी हा हम बात कर रहे हैं मनासा विधानसभा के भू माफिया काईद जौहर नामक शख्श की जिसने प्रशासन के नियमों को तक में रखते हुए झालावाड़ नीमच मार्ग पर स्थित खसरा क्रमांक 382/2 टाल वाला खेत की जिसपर लगभग डेढ़ लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर 800 से लगाकर 3500 हजार स्क्वायर फीट तक के प्लाट लोगों को बेच दिए मजे की बात यह की उक्त व्यक्ति ने प्लाट को कॉलोनी के आधार पर बेचे जबकि नगर परिषद मनासा ने कॉलोनी के लिए किसी भी प्रकार से कोई वैध अनुमति दी ही नहीं ऐसे में जब नगर परिषद मनासा ने भूमाफिया काईद जोहार बोहरा को दो-दो बार नोटिस दिए तो काईद जौहर को उन नोटिसों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। थक हार कर आखिर नगर परिषद मनासा ने एसडीएम मनासा को लिखित में पत्र देकर बताया कि उक्त शख्स प्रशासन के नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की जाए। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी ने काईद जोहर बोहरा को दिनांक 29 सितंबर 2025 को एक पत्र जारी कर उनके सभी लीगल दस्तावेज लेकर एसडीएम कार्यालय मानसा उपस्थित होने के निर्देश दिए काईद जौहर ने

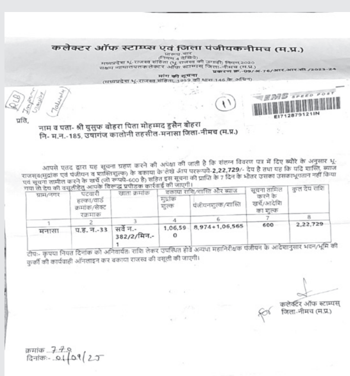

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स एवं जिला पंजीयकनीमच (म.प्र.)

प्रति,

नाम व पता- श्री युसुफ बोहरा पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा
नि- म.न.-185, उषागंज कालोनी तहसील-मनासा जिला-नीमच (म.प्र.)

आपसे एतद द्वारा यह सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण पत्र में दिए ब्यौरे के अनुसार भू-राजस्व(मुद्रांक एवं पंजीयन व शास्तिशुल्क) के बकाया के लेखे आप पररूपये-2,22,729/- देय है तथा यह कि यदि शास्ति, ब्याज एवं सूचना तामील करने के खर्चे (जो रूपये-600 है) सहित इस सूचना की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर उसका उसकाभुगतान नहीं किया गया तो देय की वसूलीहेतु आपके विरूद्ध प्रपीडक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम/नगर	पटवारी हल्का/वार्ड क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	खाता क्रमांक	मुद्रांक शुल्क	पंजीयनशुल्क/शास्ति	सूचना तामिल करने के खर्च/आदेशिका शुल्क	कुल देय राशि
1	2	3	4	6	7	8
मनासा	प.ह. न.-33	सर्वे न.-382/2/मिन.-1	1,06,590	8,974+1,06,565	600	2,22,729

टीपः- कृपया नियत दिनांक को अनिवार्यतः राशि लेकर उपस्थित होवें अन्यथा महानिरीक्षक पंजीयन के आदेशानुसार भवन/भूमि की कुर्की की कार्यवाही ऑनलाइन कर बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी।

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स
जिला-नीमच (म.प्र.)

क्रमांक 779
दिनांक- 01/09/25

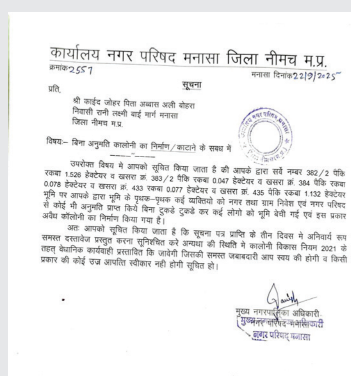

कार्यालय नगर परिषद मनासा जिला नीमच म.प्र.

क्रमांक 2557 मनासा दिनांक 22/9/2025

सूचना

प्रति,
श्री काईद जोहर पिता अब्बास अली बोहरा
निवासी रानी लक्ष्मी बाई मार्ग मनासा
जिला नीमच म.प्र.

विषयः- बिना अनुमति कालोनी का निर्माण/काटाने के सबंध में

उपरोक्त विषय मे आपको सूचित किया जाता है की आपके द्वारा सर्वे नम्बर 382/2 पैकि रकबा 1.526 हेक्टेयर व खसरा क्रं. 383/2 पैकि रकबा 0.047 हेक्टेयर व खसरा क्रं. 384 पैकि रकबा 0.078 हेक्टेयर व खसरा क्रं. 433 रकबा 0.077 हेक्टेयर व खसरा क्रं. 435 पैकि रकबा 1.132 हेक्टेयर भूमि पर आपके द्वारा भूमि के पृथक-पृथक कई व्यक्तियो को नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगर परिषद से कोई भी अनुमति प्राप्त किये बिना टुकडे टुकडे कर कई लोगो को भूमि बेची गई एवं इस प्रकार अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस मे अनिवार्य रूप समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति मे कालोनी विकास नियम 2021 के तहत् वेधानिक कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी जिसकी समस्त जबाबदारी आप स्वय की होगी व किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति स्वीकार नही होगी सूचित हो।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मनासा

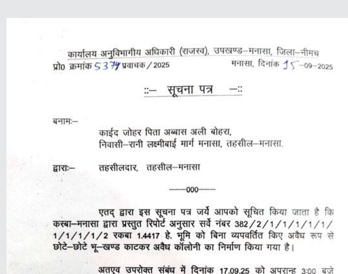

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड-मनासा, जिला-नीमच

प्रो0 क्रमांक 5374 प्रवाचक/2025 मनासा, दिनांक 15-09-2025

::- सूचना पत्र -::

बनामः-
काईद जोहर पिता अब्बास अली बोहरा,
निवासी-रानी लक्ष्मीबाई मार्ग मनासा, तहसील-मनासा.

द्वाराः- तहसीलदार, तहसील-मनासा

----000----

एतद् द्वारा इस सूचना पत्र जर्ये आपको सूचित किया जाता है कि कस्बा-मनासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सर्वे नंबर 382/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 रकबा 1.4417 हे. भूमि को बिना व्यपवर्तित किए अवैध रूप से छोटे-छोटे भू-खण्ड काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में दिनांक 17.09.25 को अपरान्ह 3:00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर जवाब एवं भूमि व्यपवर्तन, कॉलोनी विकास अनुज्ञा, कालोनाईजर लायसेंस संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। वैधानिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेगें।

(किरण आंजाना),
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड मनासा, जिला-नीमच.

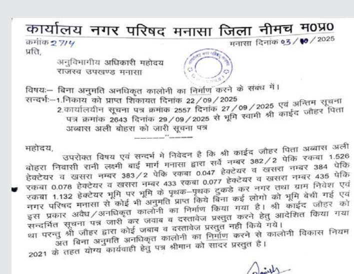

कार्यालय नगर परिषद मनासा जिला नीमच म0प्र0

क्रमांक 2714 मनासा दिनांक 03/10/2025

प्रति,
अनुविभागीय अधिकारी महोदय
राजस्व उपखण्ड मनासा

विषयः- बिना अनुमति अनधिकृत कालोनी का निर्माण करने के संबंध में।

सन्दर्भः-1.निकाय को प्राप्त शिकायत दिनांक 22/09/2025
2.कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक 2557 दिनांक 27/09/2025 एवं अन्तिम सूचना पत्र क्रमांक 2643 दिनांक 29/09/2025 से भूमि स्वामी श्री काईद जौहर पिता अब्बास अली बोहरा को जारी सूचना पत्र

महोदय,
उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ मे निवेदन है कि श्री काईद जौहर पिता अब्बास अली बोहरा निवासी रानी लक्ष्मी बाई मार्ग मनासा द्वारा सर्वे नम्बर 382/2 पेकि रकबा 1.526 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 383/2 पेकि रकबा 0.047 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 384 पेकि रकबा 0.078 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 433 रकबा 0.077 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 435 पेकि रकबा 1.132 हेक्टेयर भूमि पर भूमि के पृथक-पृथक टुकडे कर नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगर परिषद मनासा से कोई भी अनुमति प्राप्त किये बिना कई लोगो को भूमि बेची गई एवं इस प्रकार अवैध/अनधिकृत कालोनी का निर्माण किया गया है। श्री काईद जौहर को सन्दर्भित सूचना पत्र जारी कर जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु श्री जौहर द्वारा कोई जबाब व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।
अत बिना अनुमति अनधिकृत कालोनी का निर्माण करने से कालोनी विकास नियम 2021 के तहत योग्य कार्यवाही हेतु पत्र श्रीमान को सादर प्रस्तुत है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मनासा

एसडीएम के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाते हुए उसी दिन 8 रजिस्ट्री और करवा दी सबसे बड़ी बात यह सारी रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति की यहां पर की गई। इस मामले में जिला रजिस्टर कार्यालय ने एक क्रेता को कम स्टाम्प ड्यूटी लगाने पर लगभग 2 लाख 22 हजार रुपए का नोटिस भी जारी किया है। ऐसी कुल 26 रजिस्ट्री है तो आपके अंदाज लगा सकते हैं कि प्रशासन को लाखों का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता बुरहानुद्दीन बोहरा ने बताया कि काईद जोहार ने प्रशासन और आम जनता को गुमराह किया है जिसने बिना परमिशन के अवैध कालोनी काटी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि आप जनता के बीच में प्रशासन के प्रति वैमनस्य का भाव पैदा हो और जिस प्राइवेट व्यक्ति ने यह सारी रजिस्ट्रीया की है उसका लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त हो ओर उसके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

इनका कहना :-

"प्रशासन को ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आम लोगों के बीच में प्रशासन और सरकार को लेकर विश्वास बना रहे।

***बुरहानुद्दीन**- शिकायतकर्ता नीमच।*

वर्ष 2017 के बाद अवैध कॉलोनी का यह पहला मामला है। इसके बाद की सारी कॉलोनी नियमानुसार अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। हमारे द्वारा काईद जोहर बोहरा को दो बार नोटिस जारी किया गया और उनके दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था, परंतु उन्होंने किसी भी सूचना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया हमारे द्वारा एसडीम मनासा को पत्र लिखकर वैधानिक कार्यवाही के लिए अवगत कराया गया है।

***-श्रीमती सीमा अजय तिवारी** अध्यक्ष नगर परिषद मनासा।*

नगर परिषद मनासा द्वारा जानकारी प्राप्त होने के बाद उक्त मामले में नोटिस जारी किया गया था वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

***श्रीमती किरण आंजना**- एसडीएम मनासा"*

नीमच पुलिस की बड़ी कार्रवाई- कॉम्बिंग गश्त में 121 वारंट तामील

नीमच। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में 28-29 अक्टूबर 2025 की दरम्यानी रात जिलेभर में कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों और बल द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी, निगरानी बदमाशों की चैकिंग, होटल-लॉज-ढाबा निरीक्षण, लघु अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई सहित कई गतिविधियां संचालित की गईं। कॉम्बिंग गश्त के दौरान 10

स्थानों पर संयुक्त चौकिंग की गई, जिसमें 250 वाहनों की जांच कर 30 वाहनों के चालान बनाए गए और 4000 का समन शुल्क वसूला गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान कुल 121 वारंट तामील किए गए, जिनमें 30 स्थायी और 91 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। इनमें कई वारंटी लंबे समय से फरार चल रहे थे। मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित 36 वारंट, शरीर संबंधी अपराधों के 54 वारंट तथा संपत्ति अपराधों से जुड़े कई वारंट तामील किए गए। वहीं, 99 निगरानी बदमाशों और गुण्डों की चैकिंग की गई। अवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए 64 होटल, लॉज और ढाबों की जांच भी की गई। आबकारी अधिनियम के तहत 14 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 62 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, साथ ही 29 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। गंभीर अपराधों एवं धारा 193(9) बीएनएसएस / 173(8) द.प्र.सं. के तहत एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। महिला संबंधी अपराधों के 4 आदतन आरोपियों की चैकिंग कर उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में यह दसवीं कॉम्बिंग गश्त रही।

लोडकिया-नलखेड़ा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा- अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौके पर मौत

नीमच। शनिवार देर शाम मनासा क्षेत्र में लोडकिया-नलखेड़ा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे पैदल जा रहे राहगीर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय व्यक्ति सड़क के किनारे पैदल चल रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही व्यक्ति सड़क पर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया।

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी। थोड़ी ही देर में मनासा पुलिस दल व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के ईएमटी परमानंद पाटीदार और पायलट प्रमोद वसीटा ने मृतक को मनासा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया।

शिनाख्त व जांच जारी

मनासा पुलिस ने बताया कि मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ।

मॉडर्न पेंटाथलॉन चैम्पियनशिप पर नीमच का दबदबा, आरव, पृथ्वी, रिधि, स्तुति व प्रथा स्टेट स्तर हेतु चयनित

नीमच। शालेय संभाग स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन अंडर-19 बॉयज एवं गर्ल्स चैम्पियनशिप का आयोजन आज उज्जैन के महानंदा स्विमिंग पूल में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में नीमच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। बॉयज वर्ग में आरव वीरेंद्र शर्मा ने गोल्ड मेडल तथा पृथ्वीराज गजेंद्र हरोड़ ने सिल्वर मेडल जीतकर नीमच का नाम रोशन किया। वहीं गर्ल्स वर्ग में सभी तीनों पदक नीमच के नाम रिधि मयंक राठौर ने गोल्ड मेडल, स्तुति मनीष चमड़िया ने सिल्वर मेडल तथा प्रथा गजेंद्र हरोड़ ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। टीम का नेतृत्व डोमनिक तिग्गा, समीर सिंह जादौन एवं नीलेश घावरी ने किया। वॉटर स्पोर्ट्स मेंटॉर प्रभु मूलचंदानी एवं मोटिवेटर राकेश कोठारी ने बताया कि पेंटाथलॉन जैसे साहसिक खेलों में नीमच के खिलाड़ी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचेस नीलेश घावरी, समीर जादौन, सुधा सोलंकी, आयुष गौड़, अभिषेक अहीर, रोहित अहीर और शुभम स्वर्णकार खिलाड़ियों के साथ दिन में 4 से 5 घंटे अभ्यास में जुटे हुए हैं। स्विमफ्लाय स्पोर्ट्स क्लब, नगर पालिका नीमच एवं पूल स्टाफ ने सभी खिलाड़ियों को आगामी स्टेट स्तर की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

नीमच का किशोर लापता मंदसौर के कुएं में पाया गया मृत, हत्या की आशंका

नीमच का किशोर लापता होने के बाद मंदसौर के एक कुएं में मृत पाया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जावी गांव निवासी 19 वर्षीय युवक कई दिनों से लापता था, जिसका शव मंगलवार को मंदसौर के कृषि कॉलेज परिसर स्थित एक कुएं से बरामद हुआ। इस संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और न्याय की मांग को लेकर भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। परिजनों व समाजजनों ने एसडीएम संजीव साहू को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार के अनुसार, किशोर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन अंतिम बार मंदसौर के कृषि कॉलेज क्षेत्र में लोकेट हुआ था। परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे थे। नीमच सिटी पुलिस और मंदसौर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान कृषि कॉलेज परिसर के कुएं से किशोर का शव बरामद किया गया। परिजनों ने इस मौत को सामान्य मानने से इंकार करते हुए इसे हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। परिवार का आरोप है कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार और समाजजनों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करवाने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। किशोर की मौत से गांव में गम और आक्रोश का माहौल है। परिजन का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कालेज के छात्र के साथ धर्म की आड़ में युवक व अन्य साथियो द्वारा मारपीट करने में मामले में केंट थाने में गंभीर धाराओ में प्रकरण दर्ज

नीमच। नीमच जैसे शांत और मजहबी शहर में धर्म के आड़ में युवक के साथ मारपीट करते हुए ब्लैकमेल करने के आरोपी के खिलाफ नीमच कैंट पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। दर्ज की गई FIR से मिली अधिकतम जानकारी अनुसार बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति के पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वह नीमच के एक निजी महाविद्यालय का छात्र है दिनांक 02 अप्रेल 2025 की दोपहर लगभग 3:00 बजे परीक्षा होने के लिए घर से कॉलेज की ओर जा रहा था जहां किलेश्वर मंदिर गेट के यहां मंदिर की और प्रणाम करने के लिए वह रुक गया, इस दौरान अन्य स्कूटी पर सवार एक युवती से उसकी सामान्य बातचीत चल रही थी, तभी सामने वाली चाय की गुमटी से समीर पिता शाहरुख पठान अपने अन्य साथियों के साथ आया जो कि पीड़ित युवक को पहले से जानता था और आते ही उसने अभद्र और जातिगत गालियां देना शुरू कर दी, साथ ही थप्पड़ों से मारपीट की। मौके पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने मारपीट के इस घटनाक्रम का वीडियो अपने साथी से बनवाया उसके बाद आरोपी लगातार धमकियां देने लगा। मामले की जानकारी सोमवार पीड़ित के जीजा और भाई को लगी जिन्होंने बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं को मामले की जानकारी दी जिस पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता सोमवार को स्थानीय कैंट थाने पहुंचे और मय प्रमाण वीडियो बताते हुए घटना से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया, पुलिस ने मामले को जांच में लेकर सतर्कता दिखाई और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आरोपी समीर पठान पिता शाहरुख पठान नाका नंबर 4 बघाना नीमच और उसके अन्य साथी के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 3 (1) (द), 3 (1) (घ), 3 (2) (va) व भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 115(2), 296(b), 351(3), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान प्रारंभ हुआ नागरिकों से सहयोग की अपील

नीमच। निर्वाचन आयोग भारत द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया प्रारम्भकी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 4 दिसम्बर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र श्री संजीव झा ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ. तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और EPIC नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँच तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो,तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज माँगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएँगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें।घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे, तो सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

जीरन में प्रशासन के खिलाफ उबाल -श्री साई क्लिनिक पर कार्रवाई से जनता भड़की, 3 घंटे का अल्टीमेटम जारी!

ब्यूरो रिपोर्ट - दुर्गाशंकर लाला भट्ट

जीरन। नीमच जिले के जीरन नगर में प्रशासन की कार्रवाई ने आग भड़का दी है । श्री साई क्लिनिक पर हुई कार्रवाई के विरोध में पूरे नगर की जनता सड़कों पर उतर आई और जिला प्रशासन को तीन घंटे का अल्टीमेटम दे डाला।साफ कहा — "अगर ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन उग्र होगा, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी!" मामला डॉ. वीरेंद्र जाट के श्री साई क्लिनिक, जीरन से जुड़ा है। एक दिन पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी (CMHO) नीमच की टीम ने इस क्लिनिक के विरुद्ध अचानक कार्रवाई की क्लीनिक को सील कर दिया। जनता ने इसे अनुचित, अवैधानिक और एकतरफा बताया है। डॉ. वीरेंद्र जाट क्षेत्र में अपने बेहतर इलाज, सरल व्यवहार और वाजिब शुल्क के कारण बेहद लोकप्रिय हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी सेवाओं से सैकड़ों लोगों की मदद की थी, जिस वजह से जनता में उनके प्रति गहरा विश्वास है। लेकिन जब प्रशासन ने बिना ठोस कारण बताए उनके क्लिनिक पर कार्रवाई की, तो पूरे जीरन नगर सहित आसपास के गांवों में गुस्से की लहर दौड़ गई।बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण, व्यापारी और युवाओं ने बस स्टैंड पर एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की —"अन्याय नहीं सहेगा जीरन!" इसके बाद सभी ने तहसील कार्यालय पहुँचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में साफ कहा गया कि श्री साई क्लिनिक पर की गई कार्रवाई तीन घंटे के भीतर तुरंत वापस ली जाए, और इस कार्रवाई के पीछे कौन व्यक्ति या समूह है — उसका नाम सार्वजनिक किया जाए।अब सवाल ये है - क्या प्रशासन जनता की आवाज सुनेगा? क्या श्री साई क्लिनिक पर की गई कार्रवाई वाकई सही थी?

13 दिसंबर को जिले में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

नीमच, मनासा, जावद और रामपुरा न्यायालयों में होंगे प्रकरणों का निपटारा

नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर, शनिवार को किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालय मनासा, जावद और रामपुरा के न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में नीमच, मनासा, जावद एवं रामपुरा के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, नगरपालिका, नगर पंचायत, श्रम, बैंक आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणों का निपटारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अपने अभिभाषकों से संपर्क कर संबंधित कार्यालयों में सहमति प्रस्तुत करें।

महिला क्रिकेट विश्व कप जीत पर भाटखेड़ी में उमड़ा उत्साह

विद्यासागर पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने निकाली भव्य मशाल रैली

मनासा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश में हर्ष और उत्साह का माहौल है। इसी खुशी को साझा करते हुए ग्राम भाटखेड़ी में मंगलवार को विद्यासागर पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने भव्य मशाल रैली निकाली। रैली में छात्राओं ने हाथों में तिरंगा और जलती मशालें लेकर अबकी चोट करारी थी, महिला टीम भारी थी, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारे लगाए। रैली गांव की मुख्य गलियों से होते हुए निकली, जहां ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर छात्राओं का गर्मजोशी से स्वागत किया।इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों, स्टाफ एवं ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य भारतीय महिला क्रिकेट टीम की संघर्षशीलता और सफलता से प्रेरणा लेकर नारी सशक्तिकरण एवं खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश देना रहा।

मनासा पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय तस्कर

लग्झरी कार से पकड़ा 55 किलो से ज्यादा डोडाचूरा

मनासा पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया और 55 किलो से ज्यादा डोडाचूरा बरामद किया है। एसपी अंकित जयसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में मनासा थाना प्रभारी शिव रघुवंशी की टीम ने मुखबीर सूचना पर एक सफेद रंग की मारूती सुजूकी एसएक्स 4 कार क्रमांक क्रमांक 4808 में से दो काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 55.460 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया। मौके पर रवि बंसल निवासी बरनाला पंजाब को गिरफ़्तार किया।

सत्तु से खरीदा डोडाचूरा

मौके पर पकड़ा गया तस्कर रवि बंसल ने खुलासा किया उसने डोडाचूरा सत्तू पिता कंवरलाल बाछडा निवासी ग्राम हाडीपीपल्या से खरीद है। पुलिस अब सत्तु बांछड़ा की तलाश शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला जेल नीमच में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

नीमच। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के तत्वावधान में जिला जेल, नीमच में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती शोभना मीणा ने उपस्थित बंदियों से उनके प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की एवं उनके रहने, भोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके आदर्शों, निष्ठा एवं देश की एकता के प्रति समर्पण भाव से प्रेरित करने हेतु सचिव श्रीमती शोभना मीणा तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई।श्रीमती मीणा ने उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए कहा, कि सरदार वल्लभभाई पटेल के अदम्य प्रयासों से ही देश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण संभव हुआ और भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने कहा, कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, कि वह देश की एकता, अखंडता एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे।कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक श्री एम.के. चौरसिया एवं जेल स्टाफ भी उपस्थित थे।

खाद्य सुरक्षा टीम ने की कार्यवाही - तेल इंडस्ट्री की आकस्मिक जांच

नीमच। 31 अक्टूबर 2025 को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक भोपाल एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में मनासा रोड स्थित एक खाद्य तेल पैकिंग इंडस्ट्री का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण किया और मौके पर विक्रय हेतु खाद्य तेल का पैकिंग कार्य संचालित होते पाया।कार्यवाही अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच टीम ने मौके पर पैकिंग उपरांत विक्रय हेतु भंडारित विभिन्न ब्रांड एवं पैकिंग मात्रा के खाद्य तेल के कुल 4 नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लिए गए। नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जाएगी।उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी एवं श्री यशवंत कुमार शर्मा की टीम द्वारा की गई है।

मध्यप्रदेश को देश एवं दुनिया का उत्कृष्ट प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर कार्य करे-सखलेचा

नीमच में प्रदेश की गौरव गाथा और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ मनाया गया मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस

नीमच। प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह पूर्व मंत्री एवं विधायक जावद श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक नीमच श्री दिलीपसिंह परिहार, विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध मारू, महामंडलेश्वर श्री सुरेशानंद शास्त्री, जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शारदा धनगर, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसपी श्री अंकित जायसवाल, एडीएम श्री बीएस कलेश की उपस्थिति में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के दलों ने प्रदेश की गौरव गाथा पर आधारित देशभक्ति पूर्ण रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अतिथियों और उपस्थित जनसमुदाय ने करतल ध्वनि से सराहना की। इस मौके पर अतिथियों द्वारा आई गाट प्रशिक्षण मॉड्यूल पर सीखो सप्ताह के तहत कर्म योगी एप पर सर्वाधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पशुपालन विभाग के श्री अर्पित कुमार यादव और और गोपाल पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश में तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने पर टोलखेड़ी के पशुपालक श्री भगत बैरागी को 50 हजार रूपये की पुरस्कार राशि, एवं कराड़िया महाराज के प्राचार्य श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को छात्रवृत्ति वितरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में चयनित होकर प्रदर्शन करने वाले जिले के विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न खेलों के 18 खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच सिटी, उत्कृष्ट विद्यालय नीमच ,सांदीपनि विद्यालय नीमच एवं श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच की छात्राओं के दल को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में पूर्व मंत्री एवं जावद क्षेत्र के विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा, कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है।प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य किया जा रहा है। हम सभी मध्यप्रदेश

को देश और दुनिया का सबसे उत्कृष्ट प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर, कार्य करे। विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार ने कहा, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। अन्न उत्पादन में तो प्रदेश अग्रणी है ही, अब दुग्ध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मनासा विधायक श्री अनिरुद्ध मारू ने अपने उद्बोधन में कहा, कि देश में मध्य प्रदेश विविधताओं और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है ।मुख्यमंत्री डॉ.यादव के नेतृत्व में प्रदेश आज विकास की नई उड़ान भर रहा है। स्वच्छता में भी मध्यप्रदेश नंबर वन राज्य है।सभी अतिथियों ने उपस्थितजनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास में योगदान का आह्वान कया।प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर, कार्यक्रम का शुभारंभ किया।तत्पश्चात एडीएम श्री कलेश, एसडीएम श्री संजीव साहू, तहसीलदार श्री संजय मालवीय, कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या, जिला शिक्षाअधिकारी श्री सुजानमल मांगरिया, सीएमओ श्रीमती दुर्गा बामनियाने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर बनाई गई आकर्षक अभ्युदय मध्यप्रदेश रंगोली सभी का आकर्षण का केंद्र रही।इस समारोह में शासकीय कन्या उमावि नीमच सिटी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक घूमर नृत्य,मारी रुनक झुनक पायल बाजे सा..., उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की छात्राओं द्वारा मालवा के संझा महोत्सव पर आधारित आकर्षक लोक नृत्य, जाजू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कालबेलिया लोकनृत्य काल्यो कूद पड़यों मेला मा....महारी साइकिल पंचर कर लायो.... और सांदीपनि विद्यालय नीमच की छात्राओं की देशभक्ति से परिपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित प्रस्तुति मेरे देश का यारों क्या कहना ...को भी उपस्थितजनों ने खूब सराहा । कार्यक्रम स्थल पर कृषि स्वास्थ्य उद्यानिकी कृषि उपज मंडी सहित अन्य विभागों द्वारा लगाई गई उत्पादों और विकास गतिविधियों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनियों का अतिथियों ने अवलोकन किया।संचालन डॉ.राजेश पाटीदार ने किया और अंत में डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन ने सभी का व्यक्त किया।इस अवसर पर एसडीएम श्री संजीव साहू सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी, श्री हेमंत हरित, श्री लोकेश चांगल, श्री निलेश पाटीदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन,लोकतंत्र सेनानी, पत्रकारगणएवं बड़ी सख्या में छात्र-छात्राए, शिक्षकगण एवं जिले के नागरिक उपस्थित थे।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सात बीएलओ निलंबित

नीमच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। उक्त कार्य हेतु बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नीमच विधानसभा 229 के प्रशिक्षण कार्य में 7 बीएलओ श्रीमती प्रिया सैमुअल शिक्षक, श्रीमती मंगला शर्मा शिक्षक, श्री ओमप्रकाश जोशी सहायक ग्रेड-3, श्रीमती नजमा शेख शिक्षक, सुश्री अर्चना सैनी सहायक ग्रेड-3, श्रीमती विमला थोरेचा शिक्षक एवं श्रीमती दिव्यानी प्रजापत शिक्षक को प्रशिक्षण कार्य में सम्मिलित नहीं होने तथा लगातार दूरभाष पर संपर्क करने के पश्चात भी निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नीमच के प्रतिवेदन पर जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच नियत किया गया है।

भाईयों पर जमीन हड़पने का आरोप, कैंसर पीड़ित महिला पहुंची जनसुनवाई में, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से लगाई न्याय की गुहार

नीमच। रामपुरा तहसील के ग्राम भदाना से धोखाधड़ी और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। कैंसर पीड़ित सलीम बेगम पति स्व. अब्दुल गफुर ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर अपने सगे भाइयों पर पुश्तैनी कृषि भूमि और मकानों को फर्जी बटवारा दिखाकर बेचने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संयुक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 613, 614, 717, 615, 7/8, 6/6 का कभी बटवारा नहीं हुआ, फिर भी उनके भाई अज़ीज अहमद और जमील अहमद ने पटवारी और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी। सलीम बेगम ने बताया कि जब वे खेत पर पहुँचीं, तो राजा बंजारा नामक व्यक्ति ने उन्हें और उनकी बेटियों को धमकाते हुए कहा कि उसने जमीन खरीद ली है और विरोध करने पर जान से मार देगा। महिला ने आरोप लगाया कि पूर्व शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी बेखौफ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों ने सारी संपत्ति बेचकर बीमार माँ को अकेला छोड़ दिया है, जो वर्तमान में मल्हारगढ़ में रह रही हैं। सलीम बेगम ने कलेक्टर से मांग की है कि फर्जी बटवारे और बिक्री को निरस्त कर, संपत्ति का विधिवत बंटवारा कराया जाए और धमकी देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

कलेक्टोरेट में सामुहिक राष्ट्रगॉन एवं वन्दे मातरम का गायन

नीमच। कलेक्टर कार्यालय नीमच में सोमवार को सामुहिक राष्ट्रगॉन एवं वंदेमातरम का गायन किया गया। राष्ट्रगॉन म.प्र.गान एवं वन्देमातरम का गायन ए.डी.एम श्री बी.एस.कलेश ,डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे तथा जिला अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ।इस मौके पर कलेक्टोरेट भवन स्थित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने सामुहिक रूप से राष्ट्रगॉन, वंदे मातरम एवं म.प्र.गॉन का गायन किया। तदपश्चात नवंबर माह में शासकीय कार्यो की शुरूआत की गई। इस अवसर पर कलेक्टोरेट, राजस्व, भू-अभिलेख, श्रम, सहकारिता विभाग, शिक्षा, कोषालय, जनसम्पर्क कार्यालय, शहरी विकास अभिकरण सहित विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ पाकर खुश है दुर्गाशंकर

नीमच। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 80 हजार रूपये का ऋण प्राप्त कर, किराने की दुकान संचालित कर, मनोहरपुरा निवासी दुर्गाशंकर पिता छितर को हर माह 8 हजार रूपये आमदनी हो रही है। दुर्गाशंकर को जब टंट्यामामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में पता चला, तो उसने जिला जनजातिय कार्य विभाग कार्यालय नीमच से सम्पर्क कर, उक्त योजना के तहत ऋण आवेदन किया। दुर्गाशंकर को 2 नवम्बर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक सिंगोली शाखा से टंट्यामामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 80 हजार रूपये का ऋण मिला। इससे उसने किराना दुकान की सामग्री क्रय कर, दुकान प्रारम्भ की। अब दुर्गाशंकर को प्रतिमाह 8 हजार रूपये की आमदनी हो रही हैं। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर रहा हैं। दुर्गाशंकर इसके लिए म.प्र.सरकार को धन्यवाद दे रहा हैं।

जनसुनवाई में आवेदक को कलेक्टर ने दिलाया भूखण्ड का सीमाकंन करवाकर कब्ज़ा

कलेक्टार ने दस वर्षीय कीर्ती को उपचार के लिए आर्थिक सहायता के रेडक्रास को दिए निर्देश

नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा जनसुनवाई कर, आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में उज्जैन निवासी आवेदक राजेश नागर ने स्कीम नम्बर 34 नीमच के प्लाट नम्बर 389 का सीमांकन करवाकर भूखण्ड का न.पा. से कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ को मंगलवार को ही मौके पर आवेदक के साथ जाकर उसके भूखण्ड का सीमांकन करवाकर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। न.पा. द्वारा आवेदक को मंगलवार को ही उसके भूखण्ड का कब्जा दिला दिया गया है। जनसुनवाई में कलेक्टर ने कमल अग्रसेन भवन के पास नीमच निवासी राजपाल सिह के आवेदन पर पुत्री कीर्ती राठौर के एम्स में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता के आवेदन पर रेडक्रास से तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए। जनसुनवाई में बिसलवास बामनिया की प्रेमबाई, बिसलवास कलां की कमल पाटीदार, डूंगलावदा के मदनलाल, नई बावल की देऊबाई, यादव मंडी के गजेन्द्र सिह, सुवाखेड़ा के मांगीलाल, नेवड़ की कस्तुरीबाई, रामखेड़ा के बापूलाल, गिरदौड़ा के किशनसिंह, इंदिरा नगर नीमच के दिलीप, मेंडकी के नंदकिशोर, झातला के अशोक कुमार, जावी की ननदुबाई, चेनपुरा के गट्ठुसिंह, जगेपुर मीणा के लालाराम, अमावली महल के बाबुलाल, नयागांव के राजू धाकड़, खोर की शारदाबाई, ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। इसी तरह सेमली चंद्रावत के राधेश्याम, मालखेड़ा की गीताबाई, नयागांव के सत्तु धाकड़, नगरपालिका नीमच के विनोद, रेवली देवली के शांतिलाल, धनेरिया कलां की शांतिबाई, तेलनखेड़ी के बाबुलाल, खजुरिया के रतनलाल, कुचडोद के राजाराम, खेड़ादारू के लक्ष्मीनारायण, किरपुरिया छोटा के सद्दा बंजारा, चडौली के अर्जुन, बिसलवास खुर्द के भोलेराम, धोकलखेड़ा के यशवंतआदि ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए।इस मौके पर जिला पंचायत सी.ई.ओ.श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, एसडीएम श्री संजीव साहू व अन्य जिला अधिकारी भी जनसुनवाई में उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश ने निर्यात क्षेत्र में रचा नया इतिहास

नीमच मध्यप्रदेश ने निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अब तक का सर्वोच्च निर्यात 66,218 करोड़ रु. दर्ज किया है। Federation of Indian Export Organisations (FIEO) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का मर्चेडाइज एक्सपोर्ट 66,218 करोड़ रु. और आईटी कंपनियों (SEZs) का निर्यात 4,038 करोड़ रु. रहा। निरंतर औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग 15वें से बढ़कर 11वें स्थान पर पहुँची है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रदेश के अनेक निर्यातक अपने उत्पादों का निर्यात गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों के माध्यम से करते हैं, जिससे उनके आँकड़े प्रायः अन्य राज्यों के खाते में दर्ज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजदगी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का शुभारंभ किया। इस नीति के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने में नई गति मिली है। प्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) द्वारा निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन विषयक कार्यशालाएँ और प्रदर्शनियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश के कारीगरों, किसानों, उद्यमियों और MSME इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, निर्यात प्रक्रियाओं और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है।

जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर-घर मतदाता सत्यापन का अभियान प्रारंभ

नागरिकों से सहयोग की अपील

नीमच। निर्वाचन आयोग भारत द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Imensive Revision - SIR) की प्रक्रिया प्रारम्भकी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 4 नवम्बर 2015 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता आयु एवं अन्य विवरणी का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र श्री संजीव झा ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ. तो उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओं के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमोशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस फॉर्म से भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँचे तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ दारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार के सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो. तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से भाग विलोपित किया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारीअलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएंगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें। घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे, तो सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएँ। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।

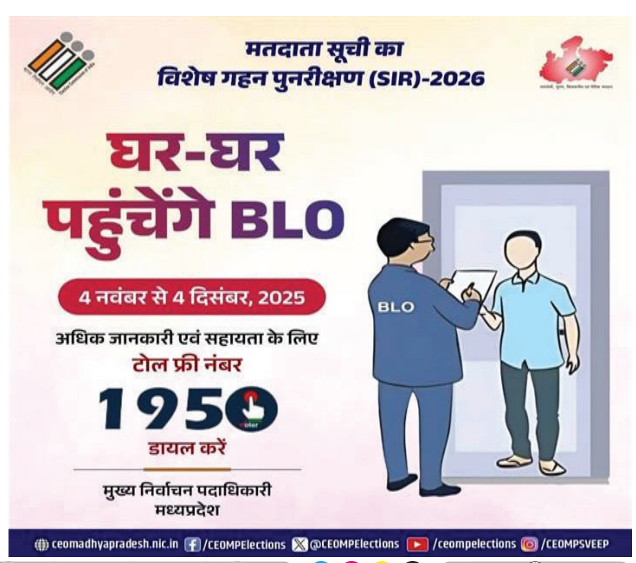

एमपी ई-सेवा पोर्टल से डिजिटल गवर्नेंस की नई क्रांति का हुआ आगाज,56 विभागों की 1700 सेवाएँ अब एक पोर्टल पर मिलेगी

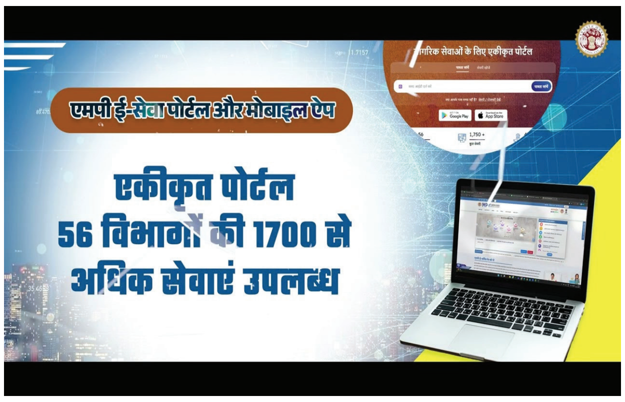

नीमच। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप' का शुभारंभ कर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज किया। यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच अब 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करायेगा। 'एमपी ई-सेवा' के माध्यम से वर्ष 2026 तक 100% ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश को देश के डिजिटल गवर्नेंस एनेबल्ड राज्यों में अग्रणी बनाने वाले इस पोर्टल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने विकसित किया है। इससे नागरिकों, विभागों और सेवाओं को एक ही डिजिटल ईको-सिस्टम में जोड़कर मध्यप्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि डिजिटल गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस है।

नागरिकों के लिए एक पोर्टल, सभी सेवाएँ एकीकृत :-

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर राज्य शासन के 56 विभागों की 1700 से अधिक नागरिक सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है। अब इन सेवाओं के लिए अलग वेबसाइट पर लॉगिन करने और बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड व iOS) के माध्यम से सभी सेवाओं के लिए पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस चैक करने के साथ ही अनुमोदन भी प्राप्त कर सकते हैं। एमपी ई-सेवा पोर्टल पर सभी चरण आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र से सुरक्षित हैं। इससे प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बन गई है।

'एमपी ई-सेवा' और 'समग्र पोर्टल' का एकीकरण :-

'एमपी ई-सेवा' को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8-अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9-अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। यह एकीकरण नागरिकों की ऑटो-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, जिससे पात्रता की पहचान स्वतः ही हो जाती है और दोहराव अथवा देरी नहीं होती है। 'एमपी ई-सेवा' की प्रमुख विशेषता 'ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स' है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड नहीं करने पड़ते। एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज़ आगे की सभी सेवाओं में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं।

सुगम, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित 'ऐप डिज़ाइन' :-

'एमपी ई-सेवा' पोर्टल का इंटरफ़ेस मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें बहुभाषीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही दिव्यांगजन के अनुप्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग आसान होगा। प्रारंभिक मूल्यांकन तौर पर इससे गवर्नेंस लागत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आएगी साथ ही वर्ष भर में नागरिकों के 50 मिलियन घंटों की भी बचत होगी।

मध्यप्रदेश में डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड :-

सितम्बर 2025 में आई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा - वितरण आकलन (एनईएसडीए वे फॉरवर्ड) रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप किया है और सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को एमपी ई-सेवा पोर्टल में 100% इंटीग्रेट कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य को 'सायबर तहसील के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और 'संपदा 2.0 के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं।

आवश्यक जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, महाकाल मीडिया एंड पब्लिकेशन "महाकाल एक्सप्रेस" साप्ताहिक समाचार पत्र में अवैतनिक रूप से ज्ञानेश प्रजापति निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के युवक मल्हारगढ़ प्रतिनिधि नियुक्त थे। जिन्हें अनियमितता के चलते दिनांक 01 फरवरी 2025 से प्रतिनिधि पद से मुक्त कर दिया गया था। किंतु विगत दिनों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त ज्ञानेश प्रजापति नामक व्यक्ति हमारी संस्था के महाकाल एक्सप्रेस समाचार पत्र का नाम उपयोग कर विज्ञापन के नाम से अवैध वसूली तथा विभिन्न विभागों में सूचना का अधिकार 2005 के आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी लेने हेतु नाम अंकित कर समाचार पत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे है। अतः समस्त जनमानस/अधिकारी/जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि, ज्ञानेश प्रजापति निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर से हमारी संस्था का गत फरवरी 2025 से कोई संबंध नहीं हैं। सो उक्त व्यक्ति से हमारी संस्था के नाम से कोई लेन देन विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति/जानकारी व्यवहार नहीं करें। संस्था के द्वारा पूर्व में भी सोशल मीडिया से सूचना प्रेषित की जा चुकी हैं। यदि उक्त व्यक्ति हमारी संस्था का नाम उपयोग कर किसी भी प्रकार का व्यवहार करते जाने की स्थिति में संस्था संस्थापक अथवा नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। उक्त व्यक्ति से किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं रहेगी। धन्यवाद

कार्यालय नगर डीकेन जिला- नीमच (नीमच)

क्रमांक 1767 / रा.वि. / 2025-26 डीकेन, दिनांक 22 / 10 / 2025

!! भूखण्ड नीलामी (ई-निविदा) आमंत्रण सूचना !!

नगर परिषद डीकेन के स्वामित्व की ... मार्ग व गुडाहोला मार्ग से हटकर यूआईडीएसएसएमटी योजना अंतर्गत PHASE-II के भूखण्डो का आवंटन, निर्धारित शर्तों एवं म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण) नियम, 2016 के नियमो व संशोधित नियम 04 मई 2021 अनुसार निम्न तालिका मे वर्णित संपत्तियों के विक्रय हेतु आनलाईन पद्धति से www.mptenders.gov.in.gov.in के माध्यम से ई-निविदा-कम-आक्शन भूखण्ड के सामने अंकित ई निविदा /नीलामी आमंत्रित की जाती है।

क्र	आनलाईन निविदा क्रमांक	भूखण्ड क्रं.	भूखण्डो /भूखण्ड का आरक्षण	भूखण्डों / भूखण्ड का आकार (वर्ग मी. में) अनुमानित	भूखण्डों / भूखण्ड की प्रस्तावित प्रीमियम रूपये	भूखण्डों / भूखण्ड की अग्रिम अमानत राशि रू	निविदा फार्म शुल्क
01	2025_UAD_416848_4	07	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
02	2025_UAD_416851_4	08	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
03	2025_UAD_416852_4	09	विकलांग	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
04	2025_UAD_416859_4	12	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
05	2025_UAD_416860_4	13	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
06	2025_UAD_416863_4	14	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
07	2025_UAD_416872_4	15	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
08	2025_UAD_416876_4	16	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
09	2025_UAD_416880_4	17	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
10	2025_UAD_416884_4	18	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
11	2025_UAD_416886_4	19	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
12	2025_UAD_416915_4	21	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
13	2025_UAD_416921_4	22	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
14	2025_UAD_416928_4	23	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
15	2025_UAD_416929_4	24	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
16	2025_UAD_416930_4	25	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
17	2025_UAD_416931_4	26	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
18	2025_UAD_416934_4	27	अनारक्षित महिला	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
19	2025_UAD_416945_4	31	अपिव	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
20	2025_UAD_416947_4	32	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
21	2025_UAD_416948_4	33	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
22	2025_UAD_416949_4	34	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
23	2025_UAD_416951_4	35	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
24	2025_UAD_416952_4	36	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
25	2025_UAD_416953_4	37	अजा/अजजा	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-
26	2025_UAD_416954_4	38	अनारक्षित	9X9	251100/-	25110/-	2,000/-

शर्ते :-

1. आनलाईन भूखण्ड निलामी ई- निविदा प्रकाशन दिनांक 30.10.2025 से आनलाईन बीड प्रस्तुति करने की दिनांक 14.11.2025 सायं 17:00 बजे तक क्रय कर बिड ऑनलाईन डाली जा सकती है।
2. भूखण्ड नीलामी हेतु विस्तृत शर्त/नियम आनलाईन वेबपोर्टल www.mptenders.gov.in. तथा कार्यालयीन समय मे अवकाश के दिनों को छोड़कर नगर परिषद की राजस्व शाखा मे ... जा सकती है।
3. आनलाईन बीड समीट करने की अंतिम दिनांक- 14.11.2025 समय - 17:00 बजे निर्धारित है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल बेबसाईट www.mptenders.gov.in.gov.in पर किया जावेगा।
4. उपरोक्त निविदा के संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित किये जावेगें। पृथक से समचार पत्र मे प्रकाशन नही किया जावेगा।
5. ई-निविदा मे भाग लेने हेतु निविदाकार को उल्लेखित वेब पोर्टल पर दिये गए निर्देशानुसार डिजिटल सिग्नेचर बनवाई जाकर नजदीकी एम.पी.आनलाईन कियोस्क तथा उक्त वेब पोर्टल हेल्प डेस्क पर अपलोड कर सकते है।

(श्रवण पाटीदार)
अध्यक्ष
नगर परिषद डीकेन म.प्र.

(अब्दुल रउफ खान)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद डीकेन म.प्र.

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली से किसानों को मिलेगा सिंचाई का बेहतर साधन

किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं जल संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मंदसौर द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर क्रय हेतु ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती कविता नरेन्द्र यादव, अध्यक्ष नगर परिषद शामगढ़, श्रीमती किरण गेहलोत तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, सहकारी बैंक अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे। जिला सहकारी बैंक मंदसौर के प्रबंधक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कच्छारा ने बताया कि कलेक्टर एवं प्रशासक जिला सहकारी बैंक श्रीमती अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में बैंक की शाखा शामगढ़ द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को आसान किश्तों में ऋण प्रदान किया गया, जिससे वे स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली का उपयोग कर सकें। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि म.प्र. शासन की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत भानपुरा, गरोठ, शामगढ़ एवं सुवासरा तहसीलों में चंबल नदी से किसानों के खेतों तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब किसानों को अपने खेतों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। जो किसान पूर्व में रबी फसलों की सिंचाई के लिए कठिनाइयों का सामना करते थे, वे अब ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जल की बचत, ऊर्जा की खपत में कमी, भूमि की उर्वरता में वृद्धि तथा फसलों की गुणवत्ता में सुधार जैसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

नकली,जाली नोटो के अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को पंजाब से गिरफ्तार कर सम्पूर्ण नेटवर्क को किया ध्वस्त

मंदसौर। पुलिस की कार्यवाही मे लाखो रूपये के नकली/जाली नोट एवं नकली/जाली नोट बनाने मे प्रयुक्त सामग्री / उपकरण को किया जप्त । आरोपी गुरजीतसिंह म.प्र., राजस्थान,हरियाणा एवं पँजाब मे भी किया करता था नकली/जाली नोट सप्लाई । प्रकरण मे कुल 18 लाख रूपये का मशरूका किया गया जप्त । निरीक्षक शिवान्शु मालवीय थाना प्रभारी थाना वायडीनगर के मार्गदर्शन में उनि कपिल सोराष्ट्रीय चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा एवं उनि विनय बुन्देला व उनकी टीम द्वारा दिनांक 27.10.2025 को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते आरोपीगण निसार हुसैन पटेल, रियाज नियारगर तथा दीपक गर्ग के कब्जे से भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाले कुल 76 नकली/जाली नोट 38000/- रूपये मूल्य के जप्त कर थाना वायडीनगर पर सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था । मन्दसौर पुलिस द्वारा आरोपियो से पुछताछ करते, आगे की कडियो को जोडते हुये तथा सायबर सेल मंदसौर की तकनिकी सहायता से प्राप्त जानकारी पर कार्यवाही करते आरोपी सन्दीपसिंह बसैती तथा प्रिन्स अहलावद को अंबाला (हरियाणा) से गिरफ्तार किया जाकर आरोपीगण के कब्जे से कुल 12 नकली/जाली नोट 6000/- रूपये मूल्य के जप्त किये गए थे । पुनः मन्दसौर पुलिस द्वारा आगे की कडियो को जोडते हुये आरोपियो की निशादेही से मन्दसौर पुलिस द्वारा व्यवसायिक कौशल का उपयोग कर नकली/जाली नोटो को बनाये जाने वाले कारखाना के संबंध मे जानकारी एकत्रित की गई तथा छापेमार कार्यवाही कर नकली/जाली नोट छापने के सरगना एवं मुख्य आरोपी

गुरजीतसिंह उर्फ गुरिन्दरजितसिंह पिता हंसराजसिंह जाति रविदासी सिख उम्र 36 साल निवासी मोहल्ला कसाबियो वाला सनौर जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार कर कारखाना पर छापामार कार्यवाही की गई जिसमे आरोपी के कब्जे से एक जैसे सिरियल नम्बर वाले भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाले नकली/जाली नोट 3,66,000/- रूपये तथा नकली/जाली नोट छापने मे आरोपी के घर पर स्थित कारखाने से नकली नोट छापने मे उपयोग की जाने वाली सामग्री कम्प्युटर, कलर प्रिन्टर, नोट पर चिपकाने वाली हरे रंग की चमकीली पन्नी, स्कैल, नोटो को काटने मे उपयोग किये जाने वाला कटर, नोट छापने के सादे कागज आदि सामग्री कुल कीमत 1,00,000/- रूपये जप्त की गई । आरोपी द्वारा लम्बे समय से नकली/जाली नोट छापने का कार्य अपने घर पर स्थित कारखाना पर किया जा रहा था । आरोपी फोटोशॉप के माध्यम से नोटो को स्कैन कर कम्प्युटर से प्रिन्ट निकालकर उस पर हरे रंग की चमकीली पन्नी चिपकाकर उसे कई राज्यो के तस्करो मे खपाता था । आरोपी ने उक्त छापने की प्रक्रिया यु-ट्युब के माध्यम से सिखी है ।आरोपी गुरजीतसिंह पूर्व मे नकली नोट छापने मे थाना छपार जिला यमुनानगर हरियाणा एवं थाना सरदारपुरा जिला जोधपूर पश्चिमी राजस्थान मे गिरफ्तार हो चुका है । आरोपी द्वारा नकली/जाली नोटो को और भी अन्य लोगो को बेंचे है जिसके संबंध मे गहन पुछताछ की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा आरोपी

(मुख्य सरगना)- गुरजीतसिंह उर्फ गुरिन्दरजितसिंह पिता हंसराजसिंह जाति रविदासी सिख उम्र 36 साल निवासी मोहल्ला कसाबियो वाला सनौर जिला पटियाला पंजाब ।

प्रकरण मे जप्तशुदा कुल मशरूका-

500, 200 तथा 100 रूपये के नकली/जाली नोट जिनका मूल्य 4,00,000/- रूपये । 06 नग एण्ड्राईड मोबाईल कीमती 3,00,000/- रूपये ह्युण्डाई कम्पनी की वरना कार कीमती 10,00,000/- रूपये । नकली नोट छापने मे उपयोग किये जाने वाले उपकरण कम्प्युटर, कलर प्रिन्टर, सीपीयु, केबल, माऊस, की-बोर्ड कीमती करीब 1,00,000/- रूपये

पूर्व मे गिरफ्तारशुदा आरोपी

01. रियाज पिता नन्हे खाँ नियारगर उम्र 38 साल निवासी पिपलियामण्डी जिला मन्दसौर । 02. निसार पिता मोहम्मद हुसैन पटेल उम्र 36 साल निवासी बोतलगंज जिला मन्दसौर ।03. दीपक पिता जमनालाल गर्ग उम्र 42 साल निवासी जवाहर नगर भिलवाडा राजस्थान । 04. सन्दीपसिंह पिता नरेन्द्रसिंह बसैती जाट उम्र 38 साल नि0- ग्राम लाँडी थाना शाहबाद जिला कुरूक्षैत्र हरियाणा । 05.प्रिन्स पिता रमेश कुमार अहलावदत जाट उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरोट थाना लडवा जिला कुरूक्षैत्र हरियाणा

सराहनीय कार्य – निरीक्षक शिवांशु मालवीय थाना प्रभारी वायडीनगर, निरीक्षक वरूण तिवारी थाना प्रभारी नाहरगढ, उनि कपिल सौराष्ट्रीय चोकी प्रभारी मुल्तानपुरा, उनि विनय बुन्देला, उप.निरी. रितेश नागर प्रभारी सायबर सेल, सउनि विक्रम वास्कले, प्र.आर. मुकेश दिया. प्रआर प्रवीणसिंह, प्रआर पूनम कर्णिक, प्रआर विकास कुरील,आऱ. 344 नवाज , आर. कमलपालसिंह, आर. श्रवणसिंह, आर चालक सुन्दरसिंह तथा साईबर सेल से प्रधान आरक्षक आशीष बैरागी, आरक्षक मनीष बघेल एवं प्र.आरक्षक मुजफ्फर उद्दीन का सराहनीय योगदान रहा ।

क्र.	अपराध क्रमांक	धारा	थाना जिला
01	55/2023	489 ए, 489 बी, 489सी, 120 बी भादवि	थाना छपार जिला यमुनानगर राजस्थान
02	175/2024	178, 179, 180, 181	बीएनएस थाना सरदारपुरा जिला जोधपूर राजस्थान
सन्दीपसिंह पिता नरेन्द्रसिंह बसैती जाट उम्र 38 साल नि0- ग्राम लाँडी थाना शाहबाद जिला कुरूक्षैत्र हरियाणा ।			
01	210/2024	178, 179, 180, 181,	बीएनएस थाना छछरौली जिला कुरूक्षैत्र हरियाणा
प्रिन्स पिता रमेश कुमार अहलावदत जाट उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरोट थाना लडवा जिला कुरूक्षैत्र हरियाणा			
01	210/2024	178, 179, 180, 181, कुरूक्षैत्र हरियाणा	बीएनएस थाना छछरौली जिला

कपास से भरा कंटेनर पलट गया, हादसे में कंटेनर चालक विष्पाल गंभीर रूप

मंदसौर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र के चल्दू गांव के पास मंगलवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कपास से भरा कंटेनर पलट गया। हादसे में कंटेनर चालक विष्पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।

अनियंत्रित होकर पलटा कंटेनर-

जानकारी के अनुसार कंटेनर में कपास की बोरियां भरी हुई थीं। यह वाहन मंदसौर की ओर से नीमच होते हुए पंजाब जा रहा था। चल्दू के पास पहुंचते ही कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

सड़क पर बिखरी कपास, यातायात प्रभावित-

हादसे के बाद कंटेनर में भरी कपास की बोरियां सड़क पर बिखर गईं, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही मल्हारगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया।

पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सड़क पर बिखरी कपास की बोरियों को हटाया, वहीं जेसीबी की मदद से पलटे हुए कंटेनर को सीधा किया गया।

जांच में जुटी पुलिस-

पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा तैयार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन का अचानक अनियंत्रित होना बताया गया है।

अपहृत बालिका को जिला कपुरथला पंजाब से किया दस्तयाब

मंदसौर। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नाबालिग बालक/बालिकाओ की दस्तयाबी के संबंध मे चलाये जा रहे अभियान आपरेशन मुस्कान के अन्तर्गत अधिक से अधिक प्रभावी कार्यवाही करने हेतू श्रीमान पुलिस अधीक्षक मन्दसौर श्री विनोद कुमार मीणा के द्वारा समस्त थाना प्रभारी को निर्देशीत किया गया था । जो इसी तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोठ सुश्री हेमलता कुरील व अअपु सीतामऊ श्री दिनेश प्रजापति के निर्देशन मे थाना प्रभारी सीतामऊ निरीक्षक कमलेश प्रजापति द्वारा व गठित टीम उनि विकास गेहलोत द्वारा दिनांक 02.11.25 को अपहृता उम्र 16 साल 03 मांह को दस्तयाब कर आरोपी विजय पिता जरेसिंह चोहान निवासी

मिनावदा थाना ताल जिला रतलाम को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 22.09.2025 को सूचनाकर्ता ने अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 16 साल 03 माह के अपने घर से चले जाने संबंधी रिपोर्ट थाने पर की थी जिस पर से थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 642/2025 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । दोराने विवेचना प्रकरण मे गठित टीम द्वारा तकनिकी इनपुट के आधार पर तलाश पतारसी करते हुए अपहरता बालिका को जिला कपुरथला पंजाब से दस्तयाब किया ।

सराहनीय कार्य -

उक्त सराहनीय कार्य मे निरीक्षक कमलेश प्रजापति , उनि विकास गेहलोत, उनि रितेश नागर ,उनि भीमसिंह राठोर , सउनि केसी बहुगुणा ,प्र.आर.639 आशिष बैरागी ,प्र. आर.135 मुजफ्फर ,प्र.आर.179 नवनीत उपाध्याय,आर.17 नरेन्द्रसिंह ,आर.467 मनिष बघेल ,आर.862 रिंकुसिंह, म.आर.187 सरीता पाटिदार का विशेष योगदान रहा ।

देह व्यापार में धकेलने और समाज से बहिष्कार का मामला, पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय

मंदसौर। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम मुरली निवासी पूजा पति अभिषेक (उम्र 21 वर्ष, जाति बांछड़ा) ने अपने और अपने पति को लगातार मिल रही धमकियों, मानसिक प्रताड़ना एवं समाज से बहिष्कार के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मंदसौर को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि बचपन में उसके परिजनों ने उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया था। लगभग पाँच वर्षों तक यह अमानवीय कार्य करवाया गया, किंतु बालिग होने पर उसने इस कुप्रथा को सदा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। बाद में पूजा ने अपने समाज के ही युवक

अभिषेक पिता अनिल (निवासी ग्राम मुरली) से प्रेम विवाह किया। विवाह 22 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। विवाह के बाद से ही पीड़िता अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है।

परिवार और समाज के लोगों ने की धमकी-

आवेदन में कहा गया है कि विवाह के बाद से ही पीड़िता के परिवारजन और समाज के कुछ लोग नाराज हैं और उसे तथा उसके पति को निरंतर धमकियाँ दे रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 3 नवंबर 2025 को समाज के पंचों ने अवैध रूप से जाति पंचायत बुलाई, जिसमें रोहित पिता बाबूलाल, अशोक पिता दुलेसिंह, अरुण पिता कैलाश, सुनील पिता दुलेसिंह (सभी निवासी थाना नाहरगढ़ क्षेत्र) सहित अन्य लोगों ने मिलकर उसे और उसके पति को समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया। पंचायत में 'बकरा काटने की रस्म' कर प्रतीकात्मक बहिष्कार किया गया और इस घटना का वीडियो बनाकर समाज के व्हाट्सएप समूहों में वायरल कर दिया गया, जिससे दंपती को सार्वजनिक अपमान और मानसिक आघात झेलना पड़ा।

धमकी और जबरन देह व्यापार का आरोप-

पीड़िता का आरोप है कि उक्त व्यक्तियों ने उसे दोबारा देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया तथा उसके पति से 20 लाख रुपये की फिरौती माँगी। रकम नहीं देने पर पति की हत्या करने और दोनों को स्थायी रूप से समाज से बाहर करने की धमकी दी गई है।

कड़ी कार्रवाई की मांग-

पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा कि वह और उसका पति भय और तनाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें सुरक्षा और न्याय मिल सके।

एजुकेशन लोन

योग्यता दस्तावेज, लाभ एवं विशेषताएं

शिक्षा ऋण छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता के लिए प्रदान की जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। भारत में कई ऋण देने वाली संस्थाएं शिक्षा ऋण प्रदान करती हैं। छात्र इसका उपयोग अपनी फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए कर सकते हैं। ऐसे ऋणों में, ब्याज दरें अनुमोदन के समय पूर्व-निर्धारित होती हैं और इसे साधारण मासिक किस्तों के माध्यम से अध्ययन समाप्त होने के बाद चुकाया जा सकता है। एजुकेशन लोन (शिक्षा ऋण) एक वित्तीय मदद का साधन है जिससे छात्रों को उनकी शिक्षा का खर्च चुकता करने के लिए पैसे उधार लेने की सुविधा मिलती है। आम तौर पर, ये लोन बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। यह लोन आपकी किताबों, सामग्री, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी कारगर हो सकता है। साथ ही, अगर आपको शिक्षा के लिए सफर करना होता है, तो एजुकेशन लोन शिक्षा के लिए किये गए आपके सफर के खर्चों को भी कवर कर सकता है.

एजुकेशन लोन कितने प्रकार के होते हैं?

चाहे आप किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित हों, भारत में शिक्षा ऋण की दो श्रेणियां हैं।

1. घरेलू शिक्षा ऋणः जब आप देश के भीतर पढ़ाई कर रहे हों तो यह आपको ऋण प्रदान करता है।
2. विदेश में अध्ययन शिक्षा ऋणः यदि आपने देश की सीमा से बाहर किसी संस्थान में दाखिला लिया है तो यह ऋण आपके लिए मददगार हो सकता है।

स्टूडेंट लोन लेने की प्रक्रिया

केवाईसी विवरण और अन्य उल्लिखित दस्तावेज़ जोड़ें और वास्तविक समय में क्रेडिट मूल्यांकन प्राप्त करें

स्टूडेंट लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज

योग्यता दस्तावेज़ों की तैयारी करेंः एजुकेशन लोन आवेदन करने से पहले, आपको अपने योग्यता दस्तावेज़ों (eligibility) की तैयारी करनी होगी। यह आम तौर पर, जन्म-तिथि प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, स्कूल या कॉलेज की तरफ़ से एडमिशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, आय प्रमाणपत्र आदि शामिल हो सकते हैं। आपको इन दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां बनवानी होगी।

लोन देने वाले संस्थान को चुनेंः एजुकेशन लोन पाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरतों के अनुसार एक लोन देने वाले संस्थान को होगा। आपके पास कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे बैंक, नॉन-बैंक फाइनेंस कंपनी (NBFC), अथवा अन्य निजी संस्थान। इस क्रम में आप Hero FinCorp पर भरोसा कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हुए त्वरित, किफायती और सरल शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं कि वित्तीय बाधा आपकी शिक्षा को प्रभावित न करे। इस के अलावा, लोन देने वाले संस्थान की व्यापकता, ब्याज दर, रिपेयमेंट अवधि, और कोलेट्रल की आवश्यकता जैसे मुद्दों को ख़ास तौर से ध्यान में रखें। अब भारत में निजी लोन देने वालों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण, लोन लेने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। बैंकों के अलावा, आप भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-बैंकिंग संस्थानों के साथ किस्मत आजमा सकते हैं (विदेश में अध्ययन के लिए)। एक लोन दाता का चयन करते समय, ब्याज दर, लोन की अवधि, रिपेयमेंट की अवधि, और जमानत की आवश्यकता जैसे मामलों पर बारीकी से सोचें और रिसर्च करें।

लोन वापसी की नीतिः

आपको लोन वापसी की नीति की समझ और पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ब्याज दर, आवेदन की अवधि, मोरेटोरियम की अवधि, आवादेन की प्रक्रिया और लोन वापसी के नियमों को समझना चाहिए।

शिक्षा संस्थान को चुनेंः एजुकेशन लोन की आवेदन प्रक्रिया में आपके चुने गए शिक्षा संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अहम योगदान होता है। आपको लोन मिलेगा या नहीं इसमें चुने गए कॉलेज की रेप्युटेशन का भी हाथ होता है। कई छात्र उन विदेशी संस्थानों का चयन करते हैं जो कम फीस वाले होते हैं, लेकिन ऐसे कई संस्थानों की रेप्युटेशन कुछ ख़ास नहीं होती। ऐसा होने पर लोन मिलना मुश्किल हो सकता है या आपको सामान्य से अधिक दर पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। अगर आप संशय में हैं, तो सीधे अपने बैंक या लोन देने वाले संस्थान से पूछें कि वे कौन से विश्वविद्यालय और कोर्सों के लिए विशेष लाभ जैसे कम ब्याज दर और/या कोई जमानत की आवश्यकता वाला लोन दे सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर को 750 पॉइंट्स से ऊपर रखेंः आपके लोन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट स्कोर आपके उधार लेने और चुक्ता करने के व्यवहार पर आधारित होता है। अगर आपने पहले से ही कोई लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है, तो शायद आपका पहले से ही क्रेडिट स्कोर हो सकता है, जिसे आप ऑनलाइन मुफ्त में जांच सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने के लिए, आपको नियमित रूप से लोन चुक्ता करना चाहिए और वित्तीय सावधानियों को बरतना चाहिए। आम तौर पर 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। अगर किसी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, तो नियमित किश्तें चुकाकर और डिफ़ॉल्ट ना करके अपने स्कोर को कम से कम 750 से ऊपर रखने की कोशिश करें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंः एक बार जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी हो जाए, आपको अपने चुने गए लोन देने वाले के पास जाकर आवेदन पत्र (Application form) भरना होगा। पूछी गई सारी जानकारी शामिल करते हुए आवेदन पत्र ठीक तरीके से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी और लोन देने वाला संस्थान आपको वित्तीय योग्यता और आवश्यकताओं के आधार पर लोन देगा।

एजुकेशन लोन के लिए इन बातों का ध्यान रखें

अक्सर छात्र किसी अन्य शिक्षक या छात्र की बात को मानते हुए सीधे एजुकेशन लोन का विकल्प चुन लेते हैं। इस तरह भीड़ का अनुसरण करना हर बार ठीक नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है जो ज़्यादातर छात्रों पर लागू हो रहा हो वह आप पर लागू ना हो। अगर आप किसी बड़े संस्थान में अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, तो शिक्षा की लागत को चुकता करने के लिए स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) जैसे विकल्पों को ध्यान में रखें। कई संस्थान छात्रों को उनके शैक्षिक और अन्य गतिविधियों के आधार पर स्कॉलरशिप देते हैं। कॉलेज आदि संस्थानों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या आप किसी भी स्कॉलरशिप के पात्र हैं। अगर आपको वेबसाइट से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप दिए गए आधिकारिक फ़ोन नंबर, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं या खुद उस संस्थान पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपके एजुकेशन लोन पाना काफी आसान हो जाएगा।

स्टूडेंट लोन के फायदे

शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने के कई लाभ हो सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है जिसमें इसके आसपास के कई खर्च भी शामिल हैं। यदि आप उच्च अध्ययन के लिए जा रहे हैं, तो नियमित बचत के साथ सभी खर्चों को स्वयं वहन करना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता है। उस स्थिति में, शिक्षा ऋण हमेशा बचाव में आता है।

जब आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप कमाने के लिए तैयार हों, तो आप सरल मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण चुका सकते हैं। परिणामस्वरूप, यह व्यक्तिगत ऋण की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है।

पत्रकार हितों की 6 सुत्रीय मांगो को लेकर 11 नवंबर को मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला मुख्यालय पर प्रभावी रैली निकाल कर देगा ज्ञापन

नीमच। प्रदेश में पत्रकारो के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड संगठन मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशानुसार पुरे प्रदेश में दिनांक 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे जिला मुख्यालय पर प्रभावी रैली निकाल कर मुरेना महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकार हितों की 6 सुत्रीय मांगो का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया था परन्तु 6 माह बीत जाने के बाद भी सकारात्मक परिणाम नही मिलने पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपेगा। इसी क्रम में नीमच जिला इकाई में भी जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन, रैली प्रभारी संजय शर्मा संभागीय संयुक्त सचिव, जिला कार्यकारी अध्यक्ष चेन सिंह सोलंकी, महासचिव अविनाश जाजपुरा, सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार साथियों के नेतृत्व में प्रभावी रैली निकाल कर स्मरण पत्र सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि स्मरण पत्र में पत्रकार हितों की जो प्रमुख 6 मांगे हे वो इस प्रकार है पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू हो, मालवीय नगर भोपाल स्थित पत्रकार भवन की भूमि पुनः पत्रकार भवन के रुप मे मिले संगठन को मिले, श्रृद्धा निधी के नियमों से अधिमान्यता की शर्त हटाई जाए,सभी जिलों में पत्रकार भवन हेतु निशुल्क भूमि दी जाए,टोल टैक्स नाको पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्डो को मान्यता दी जाए, पत्रकार बीमा योजना उत्तर प्रदेश की तरह निशुल्क लागु हो,ये 6 सुत्रीय मांगो का शीघ्र निराकरण का आश्वासन मुख्यमंत्री ने मुरेना महाअधिवेशन में दिया था परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नही आने पर संगठन द्वारा प्रभावी रैली निकाल कर स्मरण पत्र दिया जाएगा इसके बाद भी सरकार का ध्यान पत्रकार हितों की मांगो पर नही जाता है तो मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ को प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने को मजबुर होना पड़ेगा। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सदैव पत्रकार हितों को लेकर संघर्षरत रहता है। इसलिए पत्रकार हितों को लेकर चुप नही बैठेगा।

प्रदेश की नगरीय निकायों के कर्मचारियों की माँगों का ज्ञापन नगरीय प्रशासन आयुक्त को सौपा

भोपाल। प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों -कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों व अन्य कर्मचारियों की विभिन्न माँगों का ज्ञापन आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को सौपा जावेगा। मुख्य माँगें एक सितंबर 2016 तक के कर्मचारियों का विनियमितिकरण, विनियमित कर्मियों का विभिन्न पदों पर नियमितिकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से अघोषित कटौती, तहबाजारी चालू करने, त्रुटिपूर्ण सेवा भर्ती नियम, अनुकंपा अनुदान, न प्र.वि. द्वारा दिनांक 08-10-2025 को जारी पत्र के संबंध में, आउटसोंस के स्थान पर संविदा नियुक्ति करने, निकायों में सीधी भर्ती के पूर्व मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति आदि । पूर्व में कई माँगों पर विचार विमर्श पश्चात् सहमति उपरांत भी आदेश जारी नहीं किये। आयुक्त द्वारा सभी माँगों पर सहमति व्यक्त कर शीघ्र आदेश जारी किये जाने का आश्वासन दिया । संगठन के प्रदेश-जिला इकाई पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिनांक 04-11-2025 को अपरान्ह 3.00बजे आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग को दिया। इस दौरान संगठन के प्रदेश-जिला व इकाई अध्यक्ष सर्वश्री सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, हरेन्द्रसिंह ठाकुर, संजय शुक्ला, शक्ति तिवारी, माजिद खांन, तौफिक खांन, प्रकाश राठौर, रामचरण कुशवाह, योगेश सिंह, तेजसिंह यादव, कपिल दुबे, बी.एस. मालवीय व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

हाइवे पर किसानों का हल्ला बोल: सैकड़ों ट्रैक्टर रोके गए, मोरवन में कपड़ा फैक्ट्री के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

नीमच । सोमवार को किसानों ने विशाल रैली निकाल प्रशासन को सकते में डाल दिया। मोरवन सहित करीब सौ गांवों के हजारों किसान लगभग दो सौ ट्रैक्टर लेकर नीमच की ओर कूच कर गए। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत कार्रवाई की और गांवों में किसानों को रोकने के प्रयास किए गए। भरभडिया फंटे पर ट्राला खड़े कर ट्रैक्टरों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इससे किसानों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वहीं हाइवे पर जाम लगा दिया। मौके पर किसान नेता राजकुमार अहीर, पूरण अहीर, मनोहर जाट, अरविंद जाट सहित कई अन्य नेता पहुंच गए।

करीब एक घंटे तक किसानों और प्रशासन के बीच खींचतान चलती रही। आखिरकार कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से चर्चा के बाद एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसौदिया ने ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन शहर की सीमा पर रोक दिया गया। प्रशासन ने किसान नेताओं से कहा कि वे पैदल ही आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद किसानों ने भरभडिया फंटे से पैदल मार्च शुरू किया और भोलियावास, स्कीम नंबर-36 होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद नजर आया।किसान नेता राजकुमार अहीर ने कहा कि प्रशासन गलत कर रहा है। एक फैक्ट्री के लिए किसानों को रोकना अन्याय है। फैक्ट्री बनने से मोरवन बांध खत्म हो जाएगा और आसपास की जमीन बंजर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन अब पीछे नहीं हटेगा और जब तक फैक्ट्री का काम बंद नहीं होता, विरोध जारी रहेगा। पूरण अहीर ने कहा कि सभी किसान चाहते हैं कि फैक्ट्री नहीं बने, क्योंकि फैक्ट्री बनने से मोरवन बांध का पानी दूषित होगा और खेती लायक जमीन खराब हो जाएगी। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत फैक्ट्री का निर्माण रोके ताकि किसानों की आजीविका बची रहे। वहीं किसान नेता मनोहर जाट ने कहा कि फैक्ट्री के कारण गांवों में भारी विरोध है और प्रशासन को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। यदि फैक्ट्री का काम बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।किसानों का कहना है कि यह लड़ाई उनकी जमीन और पानी की है, इसलिए वे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है

नीमच पुलिस के डायल-112 जवानों और पायलटों को मिला CPR का विशेष प्रशिक्षण

नीमच: मध्यप्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा, डायल-112 अब केवल त्वरित प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि जीवन रक्षक कौशल से भी लैस हो रही है। इसी कड़ी में, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में डायल-112 के कार्यरत पुलिस स्टाफ और एफआरवी पायलटों को CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) एवं BLS (Basic Life Support) तकनीक का प्रशिक्षण कराया गया।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला अस्पताल नीमच के विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहयोग से पुलिस नियंत्रण कक्ष नीमच में दिनांक 31 अक्टूबर एवं 01 नवम्बर को आयोतिज किया गया। जिला अस्पताल नीचम से पधारे डॉ. श्री सतीश चौधरी (मेडिसिन विशेषज्ञ), डॉ. श्री राजेश धाकड़ (आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी), डॉ. श्री जन्मेजय शाक्या (अस्पताल प्रबंधक) द्वारा डायल 112 में कार्यरत पुलिस स्टाफ एवं एफआरवी चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चिकित्सकों ने डायल-112 जवानों को सीपीआर या कृत्रिम श्वसन से संबंधित जानकारी दी, जो सड़क दुर्घटनाओं, हृदय गति रुकने या सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थितियों में व्यक्ति की जान बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य डायल-112 कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार देने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वे घटनास्थल पर पहुँचने पर किसी घायल या अस्वस्थ व्यक्ति की जान तुरंत बचा सकें। पुलिस जवानों को अब किसी भी आपातकालीन समय में हर परिस्थिति के लिए तैयार की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 33 पुलिस स्टाफ एवं डायल 112 के 32 वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया गया।

शातिर चेन स्केक्चर गिरफ्तार, दो दिन में की तीन वारदात, सुनार भी पकड़ा गया

नीमच जिले में पांच सिंतबर से 7 सितंबर के बीच एक तीन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स का नाम जेयश उर्फ जीतू पिता गिरजाशंकर मालवीय निवासी ग्राम कंजार्डा है। उसने दो दिन में तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटने में महारथ हांसिल कर ली थी। जीतू पकड़ने के लिए पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मप्र-राजस्थान के एक दर्जन नगरों की खाक छानी। लगातार पूछताछ और मिल रहे सबूतों के आधार पर जीतू को गिरफ्तार किया, साथ ही उससे सोने की चेन खरीदने वाले राजेश पिता घनश्याम सोनी निवासी ग्राम जावी को भी गिरफ्तार किया। जीतू की गिरफ्तारी को पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त की है।

एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस कांफ्रेस कर पूरे मामले का खुलासा किया है।

बरामद की तीन सोने की चेन

आरोपी के कब्जे से तीन सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी ने छह बार वारदात को अंजाम दिया और तीन बार सफल हुआ है।

प्राकृतिक आयुर्वेदिक, क्यूप्रेशर, सुजोक चिकित्सा शिविर

नीमच । अन्नपूर्णा सेवा न्यास नीमच के तत्वावधान प्राकृतिक आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, सुजोक चिकित्सा शिविर का 10 दिवसीय आयोजन 3 नवंबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के संयोजक व पूर्व नपाध्यक्ष राकेश पप्पू जैन बताया कि शिविर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 3 से सायं 5.30 बजे तक अन्नपूर्णा सेवा न्यास कार्यालय किशोर व्हील के सामने अंबेडकर मार्ग पर आयोजित होगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के अध्यक्ष श्रीराम गोडबोले व सचिव प्रकाश मंडवारिया ने बताया कि इस शिविर में शिव आरोग्य प्राकृतिक चिकित्सा सेवा संस्थान रायसिंह नगर जिला गंगानगर राजस्थान के डॉ. गुलाबराम (एमडी एक्यूप्रेशर सुजोक विशेषज्ञ) और उनकी टीम द्वारा सेवाएं दी जाएगी। शिविर में सर्वाईकल, माईग्रन, पीठ, पसलियों और घुटनों का दर्द, हाथों में कम्पन, थायरायडय स्लीप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, चक्कर आना, साइटिका दर्द, धरण, गैस, कब्ज, सिरदर्द, गठिया, बवासीर, गुर्दे की पथरी, बच्चों का रात्रि में बिस्तर गीला करना, तकलीफ आदि

16 वर्षीय किशन भाटी की रहस्यमयी मौत से सनसनी, 20 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले के ग्राम जावी निवासी 16 वर्षीय किशन भाटी की रहस्यमयी मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। किशन 15 अक्टूबर को आधार कार्ड अपडेट करवाने नीमच गया था, लेकिन वह फिर घर नहीं लौटा। परिजनों ने बताया कि किशन का मोबाइल उस दिन लगातार "नो रिप्लाई" बता रहा था। शाम तक कोई पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर लोकेशन मंदसौर के लाभमुनी नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड के पास मिली। इसके बाद हुई तलाश में पुलिस और परिवार को बड़ा झटका लगा, जब कृषि महाविद्यालय, मंदसौर के एक कुएं से किशन का शव बरामद हुआ। 17 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को अब 20 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। किशन के पिता पारसमल भाटी ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जांच में तेजी लाने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच धीमी गति से चल रही है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना को लेकर समाज और परिजनों में गहरा आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से भी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि किशन के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक अविनाश जाजपुरा के द्वारा यश प्रिंटिंग प्रेस स्कीम नम्बर 36 ए कलेक्टर कार्यालय के सामने मुद्रित एवं कास्मो स्कूल के पास इन्दिरा नगर नीमच से प्रकाशित - सम्पर्क 9893796737 (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र नीमच रहेगा ।)